न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01, खेतडी, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – प्रेम सिंह धनवाल,
जिला न्यायाधीश संवर्ग

आपराधिक विविध (जमानत) प्रार्थना पत्र संख्या–68/2026
CIS NO. Bail Appl./68/2026

राहुल पुत्र इन्द्रजीत सिंह उम्र 24 वर्ष, निवासी रामबास, पुलिस थाना सदर नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, खेतडी, राजस्थान

जमानत प्रार्थना पत्र धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बसिलसिले प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–129/2024, पुलिस थाना मेहाड़ा, अपराध अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 323, 341, 325, 308 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थिति–

01. श्री शेर सिंह – अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त
02. श्री मुकेश शर्मा – अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज0 राज्य

–:: आदेश ::–

दिनांक 12 मार्च, 2026

(01) यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र प्रार्थी/अभियुक्त राहुल की ओर से धारा 437 दण्ड प्रक्रिया संहिता (धारा–480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अधीन विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र धारा 437 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 10.03.2026 को अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी तलब की गई। उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

(02) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि– परिवादिया गुडलदेवी ने तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना मेहाड़ा में इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 25.05.2024 को समय करीब 12.30 पीएम बसई जाने के लिए उनका लड़का घर से गया था। जब वह नारायण सिंह की धर्मशाला के पास पहुंचा तो धर्मशाला में मौजूद 08–10 लड़के मिले, जिनके पास लाठी, सरिये थे। उनमें से रोहित, राहुल, दीपक, अर्जुन व अन्य 06–07 लडकों ने उसके लड़के के उपर जानलेवा हमला कर दिया और उसके दोनों हाथ पैड तोड़ दिए व पूरे शरीर पर चोटें मारी।

उसके लड़के को सचिन ने छुड़वाया। इन सभी ने उसके लड़के ढिल्लू उर्फ भीम सिंह पर जान से मारने के लिए हमला किया। बाद में उसे सूचना मिली तो अपने लड़के को घायल अवस्था में खेतडी लेकर आए। हालत खराब होने पर उसे कोटपूतली श्याम अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत आज भी गम्भीर बनी हुई है। उसके लड़के को जान से मारने के इरादे से हमला किया गया इत्यादि।

(03) दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि पुलिस प्रार्थी/अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, जिससे अब किसी प्रकार की कोई बरामदगी या पूछताछ करनी शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त हरियाणा स्टेट लेवल का खिलाड़ी है, जिसके न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके कैरियर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। गवाहान को विचलित करने का प्रश्न नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त अपने परिवार में कमाने वाला अकेला व्यक्ति है, जिसके न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार के सम्मुख भूखे मरने की नौबत आ रही है। प्रार्थी/अभियुक्त के फरार होने का कोई अन्देशा नहीं है। सह अभियुक्तगण की जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। अन्य सह अभियुक्त अमित कुमार की इसी न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार की जा चुकी है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाये।

(04) विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध किया।

(05) उभयपक्षों के तर्को पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

(06) केस डायरी के अवलोकन से यह प्रगट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर घातक आयुध हथियारों से लैस होकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में विधिक विरूद्व जमाव का गठन कर आहत भीम सिंह के साथ मारपीट कर हिंसा कर बलवा कारित करने व आहत भीम सिंह के गम्भीर उपहति कारित करने का आरोप है।

(07) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण **S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 13513/2020** जुगल बनाम राज0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.11.2020 में दिए गए निर्देशानुसार विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक रिकार्ड निम्नानुसार है–

क.सं.	थाना	एफ.आई.आर. नं0	धारा	न्यायालय

			निल	

(08) प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व पूर्व में अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना केस डायरी से प्रकट नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह तर्क कि प्रकरण में सह अभियुक्तगण विकेश, दीपक, भूपेन्द्र, रोहित व पुनित की जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा तथा सह अभियुक्त अमित कुमार की इसी न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार की जा चुकी है और उसका प्रकरण सह अभियुक्तगण के प्रकरण से भिन्न नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक दृष्टांत खेत सिंह आदि बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये दिशा निर्देशों का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। इस संबंध में विचार किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर पर घातक आयुध हथियारों से लैस होकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में विधिक विरूद्व जमाव का गठन कर आहत भीम सिंह के साथ मारपीट कर हिंसा कर बलवा कारित करने व आहत भीम सिंह के गम्भीर उपहति कारित करने का आरोप है। प्रकरण में सह अभियुक्तगण विकेश, दीपक, भूपेन्द्र, रोहित व पुनित की जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा तथा सह अभियुक्त अमित कुमार की इसी न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार की जा चुकी है प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 10.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण सह अभियुक्तगण के प्रकरण से उच्चतर प्रकृति का होना प्रकट नहीं होता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त खेत सिंह बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों अंतर्गत जमानत का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

(09) परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त राहुल पुत्र इन्द्रजीत सिंह उम्र 24 वर्ष, निवासी रामबास, पुलिस थाना सदर नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति बाबत 50 हजार रूपये की राशि का स्वयं का बंधपत्र व 25–25 हजार रूपये की दो सुदृढ़ प्रतिभू पत्र/जमानत न्यायिक

मजिस्ट्रेट खेतडी की सन्तुष्टि की पेश कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जावे।

(प्रेम सिंह धनवाल)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01
खेतडी, राजस्थान

(11) आदेश आज दिनांक 12 मार्च, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेम सिंह धनवाल)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 01
खेतडी, राजस्थान